# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—232 / 2016 / 223 (2016 / 000232)**

1. श्रीमती फूंदी पत्नि स्व0 बालूसिंह (मृतक)
2. श्रीमती गेन्दी पुत्री स्व0 बालूसिंह,
3. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 बालूसिंह,
4. श्रीमती सुगना पुत्री स्व0 बालूसिंह,
5. श्रीमती लीला पुत्री स्व0 बालूसिंह,
6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व0 बालूसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया जग्गा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. बलवंतसिंह उर्फ बलवीरसिंह पुत्र स्व0 बालूसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1 / 1— नारायणसिंह पुत्र बलवंतसिंह,
   1 / 2— राहुलसिंह आयु 10 वर्ष पुत्र बलवंतसिंह, नाबालिग,
   1 / 3— सुश्री नीतू आयु 12 वर्ष पुत्री स्व0 बलवंतसिंह, नाबालिग
   बजरिये नाबालिग वली माता श्रीमती गणपती बेवा पत्नि स्व0 बलवंतसिंह,
   1 / 4— गणपती बेवा स्व0 बलवंतसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवास ग्राम बाडिया जग्गा, पटवार हल्का जालिया प्रथम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. पांचूसिंह पुत्र स्व0 बालूसिंह,
3. नाथूसिंह पुत्र स्व0 बालूसिंह,
4. श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 बालूसिंह,
5. सुश्री शारदा आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्री स्व0 गोविन्दसिंह,
6. श्रवण आयु 13 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व0 श्री गोविन्दसिंह,
   दोनों जरिये उनके प्राकृतिक सरंक्षिका माता श्रीमती सोहनी प्रति.सं. 4.
7. सुश्री पिंकी आयु 18 वर्ष पुत्री स्व0 गोविन्दसिंह,
   प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 वारिस काबिज जायदाद स्व0 गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 बालूसिंह, समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम बाडिया जग्गा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. तहसीलदार, ब्यावर ।
9. उप पंजीयक, ब्यावर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
11. सक्कू पत्नि बालूसिंह पुत्र बहादुरसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम बायला, तह. ब्यावर जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 12.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 76 / 2014.**

**उपस्थितः—**

1. श्री चन्द्रदेव सांखला, वकील अपीलांटस ।
2. श्री कृष्ण गोपाल जोशी, वकील रेस्पो0 संख्या 3 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 8 से 11.

# निर्णय

**दिनांकः—29.3.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में अंकितानुसार वादिया के स्व0 पति बालूसिंह व वादी संख्या 2 से 6 के पिता स्व0 बालूसिंह की ग्राम श्यामा, तहसील ब्यावर में खातेदारी आराजियात अवस्थित है जिन पर वादिया संख्या 1 के पति बालूसिंह बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत उनके विधिक वारिसान वादिया संख्या 1 व 2 से 6 काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण के अनपढ़ व पर्दानशीन महिला होने का फायदा उठाकर उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 3 के पति/पिता गोविन्दसिंह ने जानबूझकर अपने अकेले के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया जबकि उक्त भूमियां वादीगण के पति/पिता स्व0 बालूसिंह की पुश्तैनी भूमियां है । प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमियां बेचान करने पर आमादा रहने के कारण वादिया संख्या 1 व अन्य वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित होने बाबत् प्रस्तुत किया है । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 3 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.5.2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 द्वारा अधी0न्याया0 में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिक्री प्रदान करने में अनापत्ति प्रस्तुत की तथा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के तहत मृतक प्रतिवादी के वारिसान के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो जेर लंबित था किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के लंबित रहते मृतक के विरूद्ध ही राजस्व कैम्प के दौराने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को बिना

जवाब/बहस के अधी0न्याया0 द्वारा स्वीकार कर लिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । बहस में आगे कथन किया कि मृतक प्रतिवादी के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना अधी0न्याया0 को उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार नहीं था । न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) सीजेएससी के आधार पर 2005 से पूर्व पिता की मृत्यु के बाद पिता की सम्पतियों में पुत्रियों का कोई भी हक व अधिकार निहित नहीं होना मानते हुए वाद खारिज किया है जबकि अपीलांट संख्या 1 श्रीमती फूंदी वाद निर्णय के समय पत्नि के रूप में मौजूद थी और अपने पति की मृत्यु के बाद उसका अपने मृतक पति की सम्पतियों में पूर्ण अधिकार था किन्तु अधी0न्याया0 उक्त न्यायिक दृष्टांत का गलत विनिश्चयकर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र कैम्प में प्रस्तुत किया था जिसे जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत वादीगण को विधिक सुनवाई, जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देना आवश्यक था लेकिन अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलांटस को सुनवाई व जवाब का अवसर दिये बिना स्वीकार कर संपूर्ण वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा 2005 के पूर्व पिता की मृत्यु के बाद पिता की सम्पति में पुत्रियों को कोई हक, हिस्सा निहित नहीं रहता है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 3 का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से स्वीकार कर अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर संपूर्ण वाद खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस स्व0 बालूसिंह के पुत्र, पुत्रियां तथा पत्नि है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का प्रस्तुत हुआ था जो अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर अपीलांटस को प्रदान नहीं कर प्रकरण को कैम्प में रखकर निर्णित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया है कि वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के किन प्रावधानों के तहत् खारिज किया है इसके अभाव में भी अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.52016 को खारिज किया जाता है। प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**